बाल विकास परियोजनाओं में अधिकारियों की नियुक्ति

2988. **श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों के लिये उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होते हुए भी, प्रशासन के मंत्रालयीय अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समाज कल्याण विभाग और अन्य समाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण अन्य स्थानों पर अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पदों के भर्ती नियम पिछले बारह वर्ष से अधिसूचित नहीं किये गये हैं ; और

(घ) इन भर्ती नियमों के कब तक अधिसूचित कर दिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा योजना, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से चलाई जाती है । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को छोड़ कर, जो अवैतनिक कार्यकर्ता होती हैं, शेष सभी आई० सी० डी० एस० कार्मिक संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों की सेवाओं/संवर्गों से संबंधित होते हैं । तदनुसार, दिल्ली प्रशासन में बाल विकास परियोजना अधिकारी दिल्ली के केन्द्र शासित प्रदेश की सेवाओं/संवर्गों से संबंधित होते हैं ।

1975 में जब समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रायोगिक आधारों पर शुरू की गई थी तो दिल्ली प्रशासन ने बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद को 650–1200 रुपये के पूर्वसंशोधित वेतनमान में पदों संवर्ग के एक भाग के रूप में मान लिया । समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि होने और इस के परिणामस्वरूप केन्द्र शासित प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों में वृद्धि होने से दिल्ली प्रशासन ने इन पदों के लिए अलग भर्ती नियम तैयार करने का निर्णय किया । भर्ती नियमों के प्रारूप को अभी अंतिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है ।

भर्ती नियमों के अन्तिम रूप दिए जाने तक दिल्ली प्रशासन ने बाल विकास परियोजना अधिकारी और समाज कल्याण संस्थाओं के अधीक्षकों के 20 रिक्त पदों को दिल्ली प्रशासन के अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के जरिए तदर्थ आधार पर भर लिया है ।

दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वे भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने और उन्हें अधिसूचित करने का कार्य शीघ्रता से करें ।

Unserviceable equipment and under staffed Dental Department in Safdarjang Hospital, New Delhi

2989. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that almost all the equipment of Dental wing of Safdarjang Hospital are in unserviceable condition;